संख्या-15/19/2001-का-4-2006

प्रेषक,

उमेश सिन्हा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ :: दिनांक ::**29** जून, 2006

विषयः-कुमायूं और गढ़वाल मण्डल के अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदण्ड में छूट प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य की विभिन्न सेवाओं में कुमायूं और गढ़वाल मण्डल के अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदण्ड में छूट प्रदान किये जाने के प्राविधान थे। उत्तरांचल राज्य का विधिवत् गठन हो जाने के उपरान्त, सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा कुमायूं और गढ़वाल मण्डल के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य की विभिन्न सेवाओं से शारीरिक मापदण्ड में छूट प्रदान न किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उपर्युक्त के संबंध में आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि अपने विभाग की समस्त संबंधित सेवा नियमावलियों से छूट संबंधी प्राविधान समाप्त करने हेतु शीघ्र कार्यवाही सम्पादित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश सिन्हा)
सचिव।

संख्या-15/19/2001-(1)का-4-2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ ।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव।